



DAVARA INTERNATIONAL SCHOOL

Way to success starts here...

RAIPUR-7 No/2020

RAIPUR-7 No/2020

प्रति
नोडल अधिकारी
अशासकीय उ मा विद्यालय
रायपुर, रायपुर, छ.ग.

सन्दर्भ : छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम विधेयक 2020
विषय : विधेयक की धरा 3 के मुताबिक संस्थान की फीस समिति के गठन बाबत।

माननीय महोदया,

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अशासकीय विद्यालयों की फीस का निर्धारण करने हेतु छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम 2020 पारित किया गया है जो दिनांक 15/10/2020 से प्रभावशील हो चुका है। इस विधेयक के अनुसार विद्यालय फीस समिति धरा 3 के अंतर्गत गठन हेतु हमारे विद्यालय से आपको निम्नलिखित जानकारी प्रेषित करते हैं :-

धारा 3 (क) विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख	: श्रीमती प्रगति दावड़ा मिराणी	
(घ) हमारे विद्यालय से प्राचार्य द्वारा नामांकित अभिभावक (प्रत्येक वर्ग से)		
प्राथमिक वर्ग	: श्री मलय मजीठिया	सदस्य
पूर्व माध्यमिक वर्ग	: श्रीमती नेहा नाथवानी	सदस्य
उच्च माध्यमिक वर्ग	: श्रीमती महिमा पाठक	सदस्य
उच्चतर माध्यमिक वर्ग	: श्री आलोक सोनी	सदस्य
(ड) विद्यालय का प्राचार्य	: श्रीमती हरप्रीत कौर	

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा समिति के गठन हेतु धारा 3 (ख) ,3 (ग) के अनुसार सदस्य नामांकित करना है।

धारा 3 (ख) कलेक्टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी:

धारा 3 (ग) कलेक्टर द्वारा नामांकित अभिभावक (प्रत्येक वर्ग से एक)	
प्राथमिक वर्ग	: Manoj Tiwari
पूर्व माध्यमिक वर्ग	: Kalpana Sahu
उच्च माध्यमिक वर्ग	: Kavita Sharma.
उच्चतर माध्यमिक वर्ग	: Neelkamal Sahu.

धन्यवाद

(प्राचार्य)

दावड़ा इंटरनेशनल स्कूल
दावड़ा कॉलोनी ,पचपेड़ी नाका
रायपुर (छ.ग.)



प्रतिलिपि : माननीय जिला शिक्षा अधिकारी ,रायपुर को उपरोक्त अनुसार छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियम विधेयक 2020 के मुताबिक समिति गठन की प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

C.B.S.E. Affiliation No.- 3330185
Campus : Pachpedi Naka, Near Ramkrishna Hospital, RAIPUR (C.G.)
Mobile : 9669152700, 0771-4911945, Web : www.disschool.in

Reed
Assured
7.12.20
PRINCIPAL
Govt. Higher Secondary School
Lalpur, RAIPUR (C.G.)